संख्या-207/2022/आई/151878/2022/41-1002(001)/10/2022-44(बजट)/2022

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

**पर्यटन अनुभाग** **लखनऊ,दिनांक 31 मार्च 2022**

**विषय:-जनपद- गोरखपुर में स्थित चिलुआताल स्थल के विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य की परियोजना हेतु नामित कार्यदायी संस्था में परिवर्तन एवं परियोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5534/6-1-1(1161)/2019-20 दिनांक 10 दिसम्बर 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में स्थित चिलुआताल स्थल के विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य की परियोजना हेतु कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये रू0 2058.58 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0-450.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-301/2021/1320/41-2021-44(बजट)/2020 दिनांक 31 मार्च 2021 द्वारा निर्गत की गई थी। उक्त पृष्ठभूमि में महानिदेशक पर्यटन द्वारा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर से वेटिंग कराकर एवं सर्वेक्षण के उपरान्त कतिपय सुझावों/संशोधन के क्रम में यह अवगत कराया गया कि स्वीकृत लागत सीमा में बन्धे की कुल स्वीकृत 800 मीटर की लम्बाई के स्थान पर कुल 570 मीटर लम्बाई का निर्माण कराया जाना ही संभव होगा, और संदर्भग परियोजना का पुनरीक्षित आगणन गठित कराकर इस आशय से उपलब्ध कराया गया कि संदर्भगत योजना के पुनरीक्षित आगणन की प्रशाकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रस्तावित विवरण के अनुरूप कार्य प्रारम्भ कराने की अनुमति प्रदान की जाये। उक्त संशोधित आगणन का प्रयोजना रचना एवं मुल्यांकन प्रभाग से परीक्षण/मुल्यांकन कराये जाने पर प्रभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यों की आंकलित लागत रू0 2039.54 लाख जी0एस0टी0 सहित संस्तुत की गई।

3. संदर्भगत परियोजना के संबंध में यह भी संज्ञान मे किया गया है कि नामित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रयोजना का कार्य समयबद्ध रूप से नही किया जा रहा है। अत: इस संबंध मे प्रयोजना रंचना एवं मुल्यांकन प्रभाग की परीक्षण/मुल्यांकन आख्या संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एतद्द्वारा कार्यदायी संस्था–सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम के स्थान पर यू0पी0पी0सी0एल0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये संदर्भगत प्रयोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति रू0-2039.54 लाख

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

जी0एस0टी सहित श्री राज्यपाल इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते है कि प्रयोजना हेतु नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा प्रयोजना के कार्यों को निष्पादित करने के संबंध में निर्गत किये गये शासनदेश सं0-301/2021/1320/41-2021- 44 (बजट)/2020 दिनांक 31 मार्च 2021 में अंकित शर्तों एवं प्रविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उपरोक्त क्रम में शासनादेश सं0-301/2021/1320/41-2021- 44 (बजट)/2020 दिनांक 31 मार्च 2021 द्वारा अवमुक्त की गई प्रथम किश्त की धनराशि रू0 450.00 लाख को सी0एण्ड0डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम से वापस प्राप्त कर कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

**<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहार भवन, लखनऊ।
4. संबंधित उपनिदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. महाप्रबंधक (नि-5) कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0एण्ड डी0एस0) उ0प्र0 जल निगम, विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ।
7. प्रबंध निदेशक यू0पी0पी0सी0एल0 लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी गोरखपुर/आजमगढ मण्डल, गोरखपुर।
10. वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11. गार्ड-फाइल ।

भवदीय

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।